



ज्ञान शान्ति मेत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्र.3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. मनोज कुमार
Pro. Manoj Kumar
कुलानुशासक/Proctor

दूरभाष / Phone : + 91-7152-247124
मोबाइल / Mobile : + 91-9422404277
ईमेल / Email : manajkumardean@rediffmail.com

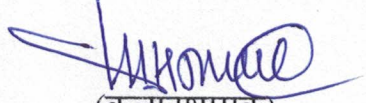
पत्रांक: 011/2018-19/कुला.जा.क्र. 248

दिनांक: 18.09.2019

सूचना

सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में कक्ष आबंटन के उपरांत जिन्होंने छात्रावास शुल्क जमा कर चालान की प्रति / विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश शुल्क के चालान की प्रति (छात्रावास शुल्क से छूट प्राप्त आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए) निर्धारित तिथि तक संबंधित छात्रावास कार्यालय में जमा नहीं किया है, वे छात्रावास शुल्क जमा कर दिनांक 20/09/2019 तक चालान की प्रति / विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश शुल्क के चालान की प्रति (छात्रावास शुल्क से छूट प्राप्त आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए) अनिवार्यतः संबंधित छात्रावास में जमा करें।

उक्त तिथि तक छात्रावास में छात्रावास शुल्क के चालान की प्रति या विश्वविद्यालय में प्रवेश-शुल्क के चालान की प्रति (छात्रावास शुल्क से छूट प्राप्त छात्रों के लिए) संबंधित छात्रावास में जमा नहीं करने की स्थिति में उनका कक्ष आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा।


(कुलानुशासक)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. प्रवेश प्रकोष्ठ
4. वित्त विभाग
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक-आवश्यक कारवाई करने हेतु प्रेषित
6. लीला विभाग-अपलोड करने हेतु